

Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B(A)1-7/2022 Dated 15-02-2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
General Administration Department

No. GAD-B(A)1-7/2022 Dated Shimla-2 15-02-2025

NOTIFICATION

WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to do so, that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Division (Civil) Sunni in District Shimla, Himachal Pradesh may be created by excluding the entire area of Tehsil Sunni having 11 Patwar Circles and 6 Patwar Circles of Sub-Tehsil Jalog of Sub-Division(Civil) Shimla Rural to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have better administrative control.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section 7 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude the entire area of 11 Patwar Circles of Tehsil Sunni and 6 Patwar Circles of Sub-Tehsil Jalog of Sub-Division(Civil) Shimla Rural and to create a new Sub-Division (Civil) Sunni with its headquarter at Sunni in District Shimla, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :-

Name of Sub-Division	District	Head-quarter	Name of Tehsil/ Sub-Tehsil	Patwar Circles Included	Name of Sub. Div. from where excluded
Sunni	Shimla	Sunni	Sunni	Shakrori	Shimla Rural
			-do-	Sunni	-do-
			-do-	Juni	-do-

			-do-	Reog	-do-
			-do-	Ghaini	-do-
			-do-	Deola	-do-
			-do-	Deothi	-do-
			-do-	Khatnol	-do-
			-do-	Berti	-do-
			-do-	Chebri	-do-
			-do-	Basantpur	-do-
			Jalog	Dharogra	-do-
			-do-	Sainj	-do-
			-do-	Banuna	-do-
			-do-	Ogli	-do-
			-do-	Karyali	-do-
			-do-	Domehar	-do-

By Order,

(Prabodh Saxena)
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. GAD-B(A)1-7/2022 Dated 15-02-2025

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the ACS/Principal Secretaries/Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. The ACS (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, w.r.t. his letter no. Rev-D(F)4-2/2017 dated 12-09-2022 and letter No. Rev-D(F)4-3/2023 dated 26-03-2024
3. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2
4. The Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh.
5. The Pr. Resident Commissioner to the Govt. of H.P. Himachal Bhawan 27-Sikandra Road New Delhi-110001
6. The Registrar General, H.P. High Court, Shimla-1
7. The Registrar General, Census Operation Man Singh Road New Delhi.
8. The LR-cum-Secretary Law(opinion) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
9. Divisional Commissioners Shimla, Mandi & Kangra Division.
10. All the Heads of Department in Himachal Pradesh.

11. The Deputy Commissioner Shimla, Himachal Pradesh.
12. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh(except DC Shimla)
13. The Director, Census Operation, Himachal Pradesh C.G.O.Complex, Himadri Khand, Longwood, Shimla-1
14. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary, Himachal Pradesh, Shimla-2
15. The Deputy Secretary (Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
16. The Under Secretary(Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
17. The Surveyor General of India Dehradun (Uttarakhand).
18. The Postmaster General, Himachal Pradesh Circle Shimla-9
19. Joint Secretary (GAD) to the Government of HP, Shimla-2 w.r.t. item No.: 40 of Cabinet meeting held on 12-12-2024
20. Guard file.


(Pratap Singh)

Under Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या: जीएडी-बी(ए) 1-7/2022

तारीख

शिमला-2,

15-02-2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में उप-मण्डल (नागरिक) शिमला ग्रामीण से तहसील सुन्नी के ग्यारह पटवार वृत्तों और उप-तहसील जलोग के छह पटवार वृत्तों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को अपवर्जित करके उप-मण्डल (नागरिक), सुन्नी के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उन्हें होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उप-मण्डल (नागरिक), शिमला ग्रामीण से तहसील सुन्नी के ग्यारह पटवार वृत्तों और उप-तहसील जलोग के छह पटवार वृत्तों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) सुन्नी, जिसका मुख्यालय सुन्नी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे :-

उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	तहसील / उप तहसील का नाम	सम्मिलित किए गए पटवार वृत्त	उप-मण्डल का नाम जिससे अपवर्जित किए गए हैं
सुन्नी	शिमला	सुन्नी	सुन्नी	शकरोड़ी	शिमला ग्रामीण
			-यथोपरि-	सुन्नी	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	जुणी	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	रेवग	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	घैणी	-यथोपरि-

			-यथोपरि-	देवला	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	देवठी	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	खटनोल	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	बैरटी	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	चेबड़ी	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	बसन्तपुर	-यथोपरि-
			जलोग	धरोगड़ा	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	सैन्ज	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	बनूना	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	ओगली	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	करयाली	-यथोपरि-
			-यथोपरि-	डुमैहर	-यथोपरि-

आदेश द्वारा,

(प्रबोध सक्सेना)

मुख्य सचिव

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

तारीख


15-02-2025

पृष्ठांकन संख्या: जीएडी-बी(ए)1-7/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. समस्त अति० मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, को उनके पत्र संख्या रैव०डी०(एफ)4-2/2017 दिनांक 12.09.2022 तथा रैव०डी०(एफ)4-3/2023 दिनांक 26.03.2024 के संदर्भ में।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश ।
4. सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
5. प्रधान आवासीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल भवन, 27-सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-1 ।
7. रजिस्ट्रार, जनरल जनगणना परिचालन, मान सिंह रोड, नई दिल्ली।
8. विधि परामर्शी एवं सचिव विधि (परामर्शी), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
9. मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी और कांगड़ा मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
11. उपायुक्त शिमला, हिमाचल प्रदेश।

12. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश (उपायुक्त शिमला के अतिरिक्त)।
13. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, सी.जी.ओ. परिसर, हिमाद्रि खण्ड, लौंगवुड, शिमला-1
14. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
15. उप सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
16. अवर सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
17. सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया, देहरादून, उत्तराखण्ड।
18. मुख्य डाकपाल, हिमाचल प्रदेश, वृत्त शिमला-9
19. संयुक्त सचिव (सा0प्र0वि0) हि0प्र0 सरकार को मंत्री मण्डल की दिनांक: 12.12.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या: 40 के सन्दर्भ में।
20. संरक्षण नस्ति।


(प्रताप सिंह)

अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

12. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश (उपायुक्त शिमला के अतिरिक्त)।
13. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, सी.जी.ओ. परिसर, हिमाद्रि खण्ड, लौंगवुड, शिमला-1
14. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
15. उप सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
16. अवर सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
17. सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया, देहरादून, उत्तराखण्ड।
18. मुख्य डाकपाल, हिमाचल प्रदेश, वृत्त शिमला-9
19. संयुक्त सचिव (सा0प्र0वि0) हि0प्र0 सरकार को मंत्री मण्डल की दिनांक: 12.12.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या: 40 के सन्दर्भ में।
20. संरक्षण नस्ति।